फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बलदेव सिंह आदि बनाम दलीप सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा:– 88.53 RTA प्रकरण संख्या:– 207/2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.12.18	आज यह पत्रावली वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत एवं साधारण समन तलब किया जावे ताकि दावा में तलबी हेतु अधिक समय व्यतीत नही हो। पत्रावली तलबी होकर दिनांक 21.2.19 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	
21.2.19	बकुलाय फेरीकेन उपस्थित मिसल वास्ते ~~[illegible]~~ आयन्दा दिनांक 22.3.19 को पेश हो। प्रति. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता Adv. ने वकालतनामा पेश किया। मामिल रहा एस. डी. ओ.	
22.3.19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय पक्ष हाजिर SDO सा० ~~बौरे पर/अवकाशपर/~~ ~~प्रशाव~~ ~~अन्य~~ कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 10.6.19 को पेश हो।	
27/03/19	आज यह पत्रावली वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शीघ्र सुनवाई करने हेतु निवेदन करने पर पेशी में ली गई। मामिल मिसल रहे। वकील वादीगण व वादीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है, इसलिये वाद पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का एवं प्रस्तुत प्रपत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र इसी स्तर पर विड्रा करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	बलदेव सिंह अं. वि. [illegible] अं. वि. [illegible] अं. वि. [illegible] गरीब सिंह अरदमाल सिंह अं. वि. [illegible] सुनीता प्रति नं. 1 ता 4 का पहचानकर्ता (रामकृष्ण परिवाड़ी) वकील वादी [illegible]

Scanned by CamScanner